राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट जयपुर दिनांक 03.02.21

:: आदेश ::

इस विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 18.03.19, 24.06.19, 26.12.19 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में राज्य सरकार के सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु पूर्व में विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्नांकित एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिलगण को विभाग आवंटित किये गये थे। पूर्व में उक्त संबंध में जारी किये गये आदेशों को संशोधित करते हुए निम्नांकित कौंसिलगण को सूची में अंकित कॉलम संख्या–3 में दर्शाये विभागों के स्थान पर निम्नानुसार सूची के कॉलम संख्या–4 में अंकितानुसार विभाग आवंटित किये जाते हैः–

S.No.	Name of Counsel	Old Department	New Department
01	Shri Syed Zakawat Ali (Additional Govt. Counsel)	Secondary Education	Secondary Education (Even Number Digit)
02	Shri Vinod Kumar Gupta (Additional Govt. Counsel)	-	Secondary Education (Odd Number Digit)
03	Shri Shailesh Sharma (Additional Govt. Counsel)	IGNP, Election Department, Specially Qualified Department, Devasthan Department	IGNP, Revenue (Other than Service matters) (Odd Number Digit)
04	Shri Akshay Sharma (Additional Govt. Counsel)	Revenue (Other than Service Matter)	Revenue (Other than Service matters) (Even Number Digit)

आज्ञा से,

ह0
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (वाई), मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
3. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. निजी सचिव सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **आपके विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां जिनमें पूर्व कौंसिलगण द्वारा पैरवी की जा रही थी, उन न्यायिक प्रकरणों में पैरवी पूर्व कौंसिलगण द्वारा ही करवायी जावे।**
5. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
6. राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउन्सिलगण, जयपुर/जोधपुर।
7. संबंधित कौंसिलगण।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर/लेखा शाखा, विधि विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

03/2/2021

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/ वाद/ 08, पार्ट जयपुर दिनांक 03-02-21

:: आदेश ::

इस विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 18.03.19, 24.06.19, 26.12.19 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में राज्य सरकार के सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु पूर्व में विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्नांकित एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिलगण को विभाग आवंटित किये गये थे। पूर्व में उक्त संबंध में जारी किये गये आदेशों को संशोधित करते हुए निम्नांकित कौंसिलगण को सूची में अंकित कॉलम संख्या-3 में दर्शाये विभागों के स्थान पर निम्नानुसार सूची के कॉलम संख्या-4 में अंकितानुसार विभाग आवंटित किये जाते हैं:-

S.No.	Name of Counsel	Old Department	New Department
1.	Shri Syed Zakawat Ali (Additional Govt. Counsel)	Secondary Education	Secondary Education (Even Number Digit)
2.	Shri Vinod Kumar Gupta (Additional Govt. Counsel)	-	Secondary Education (Odd Number Digit)
3.	Shri Shailesh Sharma (Additional Govt. Counsel)	IGNP, Election Department, Specially Qualified Department, Devasthan Department	IGNP, Revenue (Other than Service matters) (Odd Number Digit)
4.	Shri Akshay Sharma (Additional Govt. Counsel)	Revenue (Other than Service Matter)	Revenue (Other than Service matters) (Even Number Digit)

आज्ञा से,

ह0

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/ विशेषाधिकारी (वाई), मा0 मुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/ मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
3. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच।
4. निजी सचिव सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **आपके विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां जिनमें पूर्व कौंसिलगण द्वारा पैरवी की जा रही थी, उन न्यायिक प्रकरणों में पैरवी पूर्व कौंसिलगण द्वारा ही करवायी जावे।**
5. समस्त अति0 महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
6. राजकीय अधिवक्तागण/ गवर्नमेंट काउन्सिलगण, जयपुर/ जोधपुर।
7. संबंधित कौंसिलगण।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर/ लेखा शाखा, विधि विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

03.02.2021

(हुकम सिंह राजपुरोहित)

शासन सचिव, विधि